रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2006/आश्विन 14, 1928

No. 1199] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2006/ASVINA 14, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1729(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री राकेश कुमार, महासचिव, सोशलिस्ट फ्रंट, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन डा. मनमोहन सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) और श्री पी. चिदम्बरम, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए, तारीख 2 अगस्त, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम राजीव गांधी फाउन्डेशन के न्यासी हैं, जो अभिकथित रूप से लाभ का पद है ;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 21 अगस्त, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ;

और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया था ;

और संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंत:स्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ठ) द्वारा किसी भी न्यास, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, के अध्यक्ष या न्यासी के पद को, ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा ;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है ;

अत:, अब, मैं, आ.प.जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम राजीव गांधी फाउन्डेशन के न्यासियों के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है।

5 अक्तूबर, 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026(31)/2006-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 99

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 21अगस्त, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या डा. मनमोहन सिंह, राज्य सभा के सदस्य और श्री पी. चिदम्बरम, लोक सभा के सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं।

2. ऊपर उल्लिखित निर्देश, श्री राकेश कुमार, महासचिव, सोशलिस्ट फ्रंट, नई दिल्ली की तारीख 2 अगस्त, 2006 की याचिका से उद्भूत हुआ है । याचिका में, याची ने डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया है कि वे राजीव गांधी फाउंडेशन के न्यासी हैं । याची ने यह कथन किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन न्यास को सरकार तथा निगमित संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, इसलिए राजीव गांधी फाउंडेशन के न्यासी होना, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत लाभ का पद धारण करने के समान है ।

3. इस एक मात्र कथन के अलावा कि प्रत्यर्थी राजीव गांधी फाउंडेशन के न्यासी हैं, याची ने इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि प्रत्यर्थियों को कब न्यासियों के रूप में नियुक्त किया गया था, क्या यह सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाने का मामला था या ऐसे न्यासी होने के कारण उन्हें क्या आर्थिक फायदे प्रोद्भूत हो रहे थे । तथापि, आयोग को राजीव गांधी फाउंडेशन के महासचिव श्री मनमोहन मल्होत्रा से तारीख 28-8-2006 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने यह कथन किया था कि उसने वर्तमान निर्दिष्ट मामले के संबंध में मीडिया की रिपोर्टें देखी हैं, जिनके कारण वह इस संबंध में आधारभूत जानकारी के अनुसार तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हुए पत्र लिखने को उद्यत हुआ था । श्री मल्होत्रा ने यह कथन किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक रजिस्ट्रीकृत न्यास है जोकि पूर्णतया सरकार से स्वतंत्र है और इसके न्यासियों की नियुक्ति में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी । उसने यह और कथन किया कि कोई भी न्यासी किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है और उसने राजीव गांधी फाउंडेशन के तारीख 21 जून, 1991 के घोषणा विलेख की एक प्रति भी संलग्न की थी ।

4. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिका में मात्र इस एक कथन के, कि प्रत्यर्थी न्यासी है और इस दलील के कि वह अनुच्छेद 102 के अर्थान्तर्गत लाभ का पद है, अलावा कोई जानकारी अंतर्विष्ट नहीं थी । इन परिस्थितियों में, आयोग ने स्वयं राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई जानकारी और सामग्री का संज्ञान लेना उचित समझा । राजीव गांधी फाउंडेशन के महासचिव ने यह कथन किया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक रजिस्ट्रीकृत न्यास है । वस्तुत: याची ने स्वयं राजीव गांधी फाउंडेशन के एक न्यासी होने के प्रति निर्देश किया है । राजीव गांधी फाउंडेशन के स्पष्टीकरण के साथ यह तथ्य, 18-8-2006 को अधिसूचित, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा यथा अंत: स्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ठ) के उपबंधों को देखते हुए आगे और जांच को अनावश्यक बनाता है । 1959 के अधिनियम की उक्त धारा 3(ठ) के अधीन "किसी न्यासी, चाहे पब्लिक हो अथवा प्राइवेट, के अध्यक्ष या न्यासी (जिस भी नाम से ज्ञात हो) के पद को" ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के पूर्वोक्त संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

5. यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना [1970(2) एससीआर 838] में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21-05-1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थीं, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला [2005 का 2(जी)] में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुन: हाल ही में एक अन्य मामले [(2006 का निर्देश मामला संख्या 65 (जी) से 70 (जी)] में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं । इसे ध्यान में रखते हुए, इस विवाद्यक पर आगे और विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन के न्यासी की

स्थिति धारा 102(1) (क) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, अथवा नहीं ।

6. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और तथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत यह है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदम्बरम, उनकी राजीव गांधी फाउंडेशन के न्यासियों के रूप में नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथित है, अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

ह./- ह./- ह./-

(एस. वाई कुरेशी) (एन. गोपालस्वामी) (नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 21 सितम्बर 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2006

S.O. 1729(E) .— The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas a petition dated the 2nd August, 2006 raising the question of alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri P. Chidambaram, Member of Parliament (Lok Sabha), under clause (1) of article 103 of the Constitution, has been submitted to the President by Shri Rakesh Kumar, General Secretary, Socialist Front, New Delhi;

And whereas the said petitioner has averred that Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram are trustees of the Rajiv Gandhi Foundation, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 21st August, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram have become subject to disqualification for being Members of Parliament under Sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 has been enacted by the Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006;

And whereas by clause (1) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted in the said Act with effect from the 4th day of April, 1959, *vide* clause (ii) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Chairperson or trustee of any Trust, whether public or private, has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram; raised in the aforesaid petition, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) or article 103 of the Constitution, do hereby decide that Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram, have not become subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution, for being Members of Parliament on account of their appointment as trustees of the Rajiv Gandhi Foundation, as alleged in the petition.

President of India

5th October, 2006. [F. No. H-11026(31)/2006 Leg. II]

Dr. Brahm Avtar Agrawal, Addl. Secy.

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INIDA

NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

In re :

Alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram, Members of Parliament, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 99 of 2006

[Reference from the President under Article 103(2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 21st August, 2006, from the President of India, under Article 103(2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Dr. Manmohan Singh, a member of the Rajya Sabha and Shri P. Chidambaram, a member of the Lok Sabha, have become subject to disqualification under Article 102 (1)(a) of the Constitution, for being members of the House concerned.

2. The above mentioned reference arose on the petition dated 2nd August, 2006, from Sh. Rakesh Kumar, General Secretary, Socialist Front, New Delhi. In the petition, the petitioner has raised the question of alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh and Shri

P. Chidambaram (respondents) on the ground that they are trustees of the Rajiv Gandhi Foundation. The petitioner stated that the Rajiv Gandhi Foundation Trust receives financial aid from the government and corporate institutions and hence being a trustee of the Rajiv Gandhi Foundation amounts to holding an office of profit within the meaning of Article 102 (l)(a) of the Constitution.

3. Other than the bald statement that the respondents are trustees of the Rajiv Gandhi Foundation, the petitioner did not provide any information as to when the respondents were appointed as the trustees, whether it was a case of appointment by the Government, or what pecuniary gains were accruing to them on account of being such trustees. However, the Commission received a letter dated 28-8-2006, from Shri Manmohan Malhoutra, Secretary General of the Rajiv Gandhi Foundation, in which he stated that he had seen media reports about the present reference case which had prompted him to address the letter offering to clarify the facts with basic information in this regard. Shri Malhoutra stated that the Rajiv Gandhi Foundation is a registered Trust wholly independent of the Government and that the Government had no role to play in the appointment of its trustees. He further stated that none of the trustees receives any remuneration whatsoever, and he also enclosed a copy of the Deed of Declaration dated 21st June, 1991 of the Rajiv Gandhi Foundation.

4. As mentioned above, the petition did not contain any information apart from a bald statement about the respondents being the trustees and a contention that it was an office of profit within the meaning of Article 102. In these circumstances, the Commission has considered it appropriate to take cognizance of the information and material made available to it by the Rajiv Gandhi Foundation itself. The Secretary General of the Rajiv Gandhi Foundation has stated that the Rajiv Gandhi Foundation is a registered Trust. In fact, the petitioner has himself made a reference to the Rajiv Gandhi Foundation as a Trust. This fact, in conjunction with the clarification of the Rajiv Gandhi Foundation, renders any further inquiry into the question un-necessary in view of the provisions of clause (l) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted by the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, notified on 18-8-2006. Under the said Section 3(l) of the 1959 Act, "the office of Chairperson or trustee (by whatever name called) of any Trust, whether public or private", has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, member of Parliament. The aforesaid amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

5. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in *Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana* [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. In the reference case (No.4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice, by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981, held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous. Similarly, in another reference case [No. 2(G) of 2005,] relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan of membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case [Referece Case Nos. 65(G) to 70 (G) 2006] on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, squarely apply in this case as well. In view of this, there is no need to go into the issue whether the position of trustee of the Rajiv Gandhi Foundation would at all come under the purview of Article 102(1)(a).

6. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram, raised in the present petition has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram are not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of their appointment as trustees of the Rajiv Gandhi Foundation, as alleged in the petition.

Sd./-	Sd./-	Sd./-
(S.Y. Quraishi)	(N. Gopalaswami)	(Navin B. Chawla)
Election Commissioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Place : New Delhi

Dated : 21st September, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.